तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टि0ए0/4329/2003/उदयपुर** **नर्बदाबाई बनाम डालचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2020	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री योगेन्द्र सिंह,अधिवक्ता प्रार्थी श्री एस0के0 सेठी, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 5.8.2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दिनांक 9.10.2020 को उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण से संबंधित आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार स्पष्ट है कि दिनांक 15.09.2014 को वादीया पक्ष द्वारा प्रकरण में "नो इस्ट्रक्शन प्लीड" किया गया है और वाद को वादीया की अनुपस्थिति में अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः मूल वाद खारिज हो जाने से यह निगरानी प्रभावहीन हो जाती है, अतः निगरानी प्रभावहीन होने से **खारिज** की जाती है साथ ही ये व्यवस्था दी जाती है कि यदि परीक्षण न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः रैस्टोर किया जाता है तो प्रार्थी निगरानी को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 4329 / 2003 / उदयपुर** **नर्बदाबाई बनाम डालचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए